प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
<u>निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्याः 109/2023 (अपील सूचना का अधिकार)</u>
दीपक पटेल (पत्रकार) सैपुर, तहसील–सराड़ा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 15/09/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06.07.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी। जिससे सूचना न मिलने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अपीलार्थी की अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना चाहने हेतु सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 6(i) के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को एक आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, परन्तु अपीलार्थी की अपील पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वह सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर